रजिस्ट्री सं. डी (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 1988/पौष 7, 1910
No. 276] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 1988/PAUSA 7, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 1988

सं. 104-प्रेस/88 —राष्ट्रपति संस्कृत, अरबी और फारसी के निम्नलिखित विद्वानों को सम्मान-पत्र सहर्ष प्रदान करते हैं —

संस्कृत

प्रोफेसर डा. मुकुन्दमाधव शर्मा
श्री एन. एस. देवनाथाचार्य:
श्री कोडरु कृष्ण जोशिस
डा. चिन्तामणि गणेश काशीकर
प्रोफेसर डा. सीताराम शास्त्री

(18) केन्द्रीय व्यापार सेवा ग्रुप "क" (ग्रेड-3)

(19) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट के पद, ग्रुप "क"

(20) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, ग्रुप "ख" (अनुभाग अधिकारी ग्रेड)

(21) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, ग्रुप "ख" (अनुभाग अधिकारी ग्रेड,

(22) सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा ग्रुप "ख" सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड)।

(23) सीमा-शुल्क मूल्य निरूपक (एप्रेजर) सेवा ग्रुप "ख"

(24) दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा, ग्रुप "ख"

(25) दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुलिस सेवा, ग्रुप "ख"

(26) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक, ग्रुप "ख" के पद

(1) यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस नियमावली के परिशिष्ट 1 में निर्धारित रीति से ली जाएगी।

प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षाओं की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निश्चित किए जाएंगे।

2. उम्मीदवार को प्रधान परीक्षा के अपने आवेदन प्रपत्र में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए अपना वरीयता क्रम जिसके लिए वह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशासित किया जाता है तो नियुक्ति हेतु विचार किये जाने हेतु उसे यह उल्लेख करना चाहिए।

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा परीक्षा के उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र में यह स्पष्ट करना होगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किए जाने की स्थिति में क्या वह अपने संबंधित राज्य में नियुक्त किया जना पसन्द करेगा/करेगी।

उम्मीदवार जिन सेवाओं के प्रतियोगी हैं और उनके आबंटन हेतु विचारण के इच्छुक हैं उनके बारे में उनके द्वारा निर्दिष्ट वरीयताओं की प्राथमिकताओं में संशोधन एवं परिवर्तन आदि के लिये प्रार्थना पर कोई ध्यान तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक इस संशोधन या परिवर्तन के अनुरोध आयोग के कार्यालय में सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम के "रोजगार समाचार" में प्रकाशन की तारीख से 10 दिन (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपमंडल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप) में और विदेशों में रह रहे उम्मीदवारों के मामले में 17 दिन के अन्दर प्राप्त नहीं हो जाता है। आयोग या भारत सरकार उम्मीदवारों को कोई ऐसा पत्र नहीं भेजेगी जिसमें उनके आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद विभिन्न सेवाओं के लिए परिशोधित वरीयता निर्दिष्ट करने को कहा जाए।

टिप्पणी : उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह अपने प्रपत्र में सभी सेवाओं/पदों का वरीयता क्रम में उल्लेख करें। यदि वह किसी सेवा/पद का वरीयता क्रम नहीं देता है अथवा आवेदन प्रपत्र में किन्हीं सेवाओं/पदों को सम्मिलित नहीं करता है तो यह मान लिया जाएगा कि उन सेवाओं/पदों के लिए उसकी कोई विशिष्ट वरीयता नहीं है और ऐसी स्थिति में सेवाओं/पदों के लिए उम्मीदवारों के वरीयताओं के अनुसार आबंटन करने के पश्चात जिनमें रिक्तियां होंगी उसका किसी भी शेष सेवाओं/पदों पर आबंटन कर दिया जाएगा। इस प्रकार का आबंटन करते समय उस उम्मीदवार को पहले ग्रुप "क" सेवा/पद और बाद में ग्रुप "ख" सेवा पद के लिए विचार किया जाएगा।

3. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई जाएगी।

सरकार द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का आरक्षण किया जाएगा।

4. इस पर विचार किये बिना कि उम्मीदवार ने पिछले वर्षों में भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षा में कितने अवसरों का उपयोग किया है, इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो अन्यथा पात्र हों, तीन बार बैठने की अनुमति दी जाएगी। यह प्रतिबंध 1979 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा से प्रभावी होगा, सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 1979 और बाद में एक बार बैठ जाने को इस प्रयोजन के लिए अवसर माना जाएगा।

परन्तु अवसरों की संख्या से संबद्ध यह प्रतिबंध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अन्यथा पात्र उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा।

परन्तु यह और किसी ऐसे उम्मीदवार को पिछली सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा अथवा केन्द्रीय सेवाएं, ग्रुप "क" में आबंटित किया गया था किन्तु वह भारतीय प्रशासनिक सेवा, भा. वि. से. भा. पु. से. अथवा केन्द्रीय सेवाएं, ग्रुप "क" के लिए प्रतियोगिता हेतु अगली सिविल सेवा प्रधान परीक्षा में प्रवेश के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करता है और उसे प्रवेश के लिए परिवीक्षा प्रशिक्षण से अलग रहने की अनुमति दे दी गई थी तो वह नियम 17 के उपबंधों की शर्तों के अनुसार ऐसा करने के लिए पात्र होगा। यदि किसी उम्मीदवार को अगली सिविल सेवा प्रधान परीक्षा के आधार पर कि सेवा में आबंटित किया जाता है, तो वह या तो उस सेवा में या जिस सेवा में उसे पिछली सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर आवंटित किया गया था, उस सेवा में कार्यभार संभालेगा, ऐसा न करने पर उसका आबंटन एक अथवा दोनों परीक्षाओं में जैसा भी मामला होगा, रद्द समझा जाएगा, और नियम 8 में किसी बात के रहते हुए भी जो उम्मीदवार किसी सेवा में आबंटन स्वीकार करता है और किसी सेवा में नियुक्त कर दिया जाता है तो वह सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह पहले उस सेवा से त्यागपत्र नहीं दे देता है।

टिप्पणी : 1. प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की परीक्षा में बैठने का एक अवसर माना जाएगा।

2. यदि उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के किसी एक प्रश्न पत्र में वस्तुतः परीक्षा देता है तो यह समझ लिया जाएगा कि उसने एक अवसर प्राप्त कर लिया है।

3. अयोग्य पाए जाने/उनकी उम्मीदवारी के रद्द किए जाने के बावजूद उम्मीदवार की परीक्षा में उपस्थिति का तथ्य एक प्रास गिना जाएगा।

5. (1) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के उम्मीदवार को भारत का नागरिक अवश्य होना चाहिए।

(2) अन्य सेवाओं के उम्मीदार को या तो :—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत स्थायी रूप से रहने के लिए इरादे से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एस.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 1988/पौष 7, 1910
No. 276] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 1988/PAUSA 7, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अगस्त, 1988

सं. 104-प्रेस/88 —राष्ट्रपति संस्कृत, अरबी और फारसी के निम्नलिखित विद्वानों को सम्मान-पत्र सहर्ष प्रदान करते हैं —

संस्कृत

प्रोफेसर डा. मुकुन्दमाधव शर्मा
श्री एन. एस. देवनाथाचार्य:
श्री कोडरु कृष्ण जोयिस
डा. चिन्तामणि गणेश काशीकर
प्रोफेसर डा. सीताराम शास्त्री

पंडित पो. वा. शिवराम दीक्षित:
श्री जयरामशास्त्री शुक्ल
श्री सिद्धेश्वर भट्टाचार्य
डा. बूमागण्टि रामलिंग शास्त्री
डा. मुरलीधर पाण्डेय

अरबी

श्री ज़ैद अबुल हसन फारुकी
प्रोफेसर मुशीरुल हक

फारसी

प्रोफेसर डा. मोहम्मद सिद्दीक़
डा. शरीफुन्निसा बेगम अन्सारी

सु. नीलकण्ठन, निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th August, 1988

No.104—Pres/88—The President is pleased to award Certificate of Honour to the following scholars in Sanskrit, Arabic and Persian:—

SANSKRIT

Prof. D. Mukunda Madhava Sharma
Shri N. S. Devanathachariar
Shri Kodur Krishna Jois
Dr. Chintamani Ganesh Kashikar
Prof. Dr. Sitaram Shastri
Pandit P. V. Sivarama Dikshitar
Shri Jayaram Shastri Shukla
Shri Siddheswar Bhattacharya
Dr. Bommaganty Ramalinga Sastry
Dr. Murali Dhar Pandey

ARABIC

Shri Zaid Abul Hasan Farooqi
Prof. Mushirul Haq

PERSIAN

Prof. Dr. Muhammad Siddique
Dr. Shareefunnisa Begum Ansari

S. NILAKANTAN, Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1988

3. वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 2—आईटीसी (पीएन)/88—91, दिनांक 30 मार्च, 1988 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1988—मार्च, 1991 के लिए यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक की ओर ध्यान दिलाया जाता है। उक्त पुस्तक में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपर्युक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं०	प्रक्रिया पुस्तक, 1988—91 की पृष्ठ सं०	सन्दर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	298	परिशिष्ट—IIक विशेष सुविधाओं के अंतर्गत भारतीय मूल के अप्रवासी भारतीय/व्यक्तियों द्वारा पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र। (चार प्रतियां प्रस्तुत की जानी हैं)	शीर्षक के नीचे वर्तमान कोष्ठक वाला भाग निम्नानुसार पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा :— "(सात प्रतियां प्रस्तुत की जानी हैं)"

4. आयात-निर्यात नीति और प्रक्रिया पुस्तक में उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 24—ITC(PN)/88—91

New Delhi, the 6th July, 1988

Subject : Import and Export Policy for April 1988 - March 1991.

'F.No. IPC/4/5(9)/88—91 :—Attention is invited to the Import and Export Policy for April 1988 - March 1991 published under the Ministry of Commerce Publice Notice No. 1-ITC(PN)/88—91 dated the 30th March, 1988, as amended.